उस विभागाध्यक्ष को जिसके अधीन वे अपनी सेवानिवृत्ति के समय सेवारत थे। यह प्रतिपूर्ति योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।"

अन्यथा भी राज्य सरकार की याचिका उसके किसी कोषागार के माध्यम से पेंशन भुगतान के याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार करने के साथ असंगत प्रतीत होती है। अनिवार्य रूप से उसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति सहित अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान उसी राजकोष के माध्यम से किया जाना है। इसलिए, हम राज्य सरकार के उपर्युक्त रुख का खंडन करते हैं और सिवाय इसके कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगी जैसा कि अब किया गया है, - 21 मार्च, 1989 ***के आदेश*** के तहत, इस आदेश में उल्लिखित छूट की शक्ति का सहारा लिए बिना। .

(20) ऊपर दर्ज कारणों से, हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं और हमारे उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में याचिकाकर्ता के दावों को अंतिम रूप देने और तीन महीने की अवधि के भीतर उसे देय राशि का भुगतान करने के लिए ***परमादेश रिट जारी करने का निर्देश देते हैं।*** आज से। उन्हें इस याचिका की लागत का भी हकदार माना जाता है जिसे हम रुपये निर्धारित करते हैं। 1,000.

पीसीजी

न्यायमूर्ति हरबंस सिंह राय के समक्ष

प्रमुख आई. एस. सभरवाल,-याचिकाकर्ता

बनाम

सेना प्रमुख व अन्य,-प्रतिवादीगण

1988 ***की सिविल रिट याचिका संख्या*** 3846 ।

5 अक्टूबर, 1989.

सेना निर्देश 31/86, 2/76 ***द्वारा संशोधित*** एल/एस/74 ***- याचिकाकर्ता को कार्यवाहक लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया - लंबित अनुशासनात्मक मामले के आधार पर मूल मेजर के पद पर आरक्षण - अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को नहीं लाने का निर्णय लिया परीक्षण-याचिकाकर्ता चाहे अभिनय रैंक के पुनर्मिलन का हकदार हो-कानून की मंजूरी के बिना गंभीर खुशी (रिकॉर्ड करने योग्य***) का पुरस्कार ***टिकाऊ नहीं है।***

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता सेना निर्देश 31/86 के संशोधित खंड 7 (बी) के कारण उसके द्वारा खाली की गई रैंक को फिर से पाने का हकदार है क्योंकि उसे किसी भी मुकदमे में नहीं लाया गया था।

(पैरा 9)

अभिनिर्धारित किया गया कि गंभीर नाराजगी (दर्ज किए जाने) का आदेश रद्द किया जाता है क्योंकि इसके पीछे कानून की कोई मंजूरी नहीं है।

(पैरा 16)

संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका *में प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय इस मामले के रिकॉर्ड भेजने और अवलोकन के बाद कृपया निम्नलिखित करने की कृपा करें: -*

(a) याचिकाकर्ता को लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक देने की रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिस तारीख से उसे पद छोड़ने के लिए कहा गया था, और इस आशय की घोषणा करें कि याचिकाकर्ता लगातार लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर बना हुआ है। 18 नवंबर, 1984 *और उन्हें मेजर के पद पर लाना अवैध और असंवैधानिक था;*

(b) याचिकाकर्ता को लेफ्टिनेंट कर्नल की कार्यवाहक रैंक बहाल करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जो अवैध रूप से और कानून के किसी भी अधिकार के बिना छीन लिया गया था, उसे वापस लेने की तारीख से याचिकाकर्ता को वापस कर दिया जाए;

(c) 1984 *से याचिकाकर्ता को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद वापस मिलने के कारण परिणामी राहत देने के लिए रिट, आदेश या निर्देश जारी करना;*

(d) याचिकाकर्ता को दर्ज की गई गंभीर नाराजगी को रद्द करने के लिए रिट आदेश या निर्देश जारी करना, जो कि पूरी तरह से अवैध, अनुचित है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान नहीं किया गया है;

(e) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित, न्यायसंगत और उचित समझे ;

(f) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट।

(g) उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस देने से छूट:

(h) याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका की पुरस्कार लागत।

आगे सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद धारण करने की अनुमति देने के लिए एक अंतरिम निर्देश जारी किया जाए।

अधिवक्ता आर. एस. रंधावा के साथ अधिवक्ता आर. एस. बजाज याचिकाकर्ता की ओर से।

अधिवक्ता आर.एस. चाहर प्रतिवादिगण की ओर से।

Major I. S. Sabherwal *v.* Chief of Army Staff and others
(Harbans Singh Rai, J.)

निर्णय

न्यायमूर्ति हरबंस सिंह राय

(1) याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/221 के तहत उत्तरदाताओं के उस फैसले को रद्द करने के लिए एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए यह याचिका दायर की है, जिसके तहत उसकी कार्यवाहक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक छीन ली गई थी और प्रतिक्रिया के लिए एक निर्देश जारी करने की मांग की गई है। किम को फिर से लेफ्टिनेंट कर्नल का पद देने में दिक्कत आई। उन्होंने आदेश को अवैध एवं अनुचित बताते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे रद्द करने की भी प्रार्थना की है।

(2) याचिकाकर्ता को 6 अक्टूबर, 1963 को सेना सेवा में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपनी बारी में और अपने सेवा कैरियर के दौरान विभिन्न पदोन्नति अर्जित की। याचिका में कहा गया है कि मेजर के पद तक पदोन्नति एक समय-पैमाने पर पदोन्नति है और सेवा के कुछ निश्चित वर्षों के पूरा होने के बाद दी जाती है। इसके बाद, पदोन्नति सेना के विनियमों के प्रावधानों के तहत गठित बोर्ड द्वारा किए गए चयन पर निर्भर करती है।

(3) याचिकाकर्ता के नाम को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था, उन्हें विधिवत लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया था और कमांडिंग ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया था! 16 सितंबर, 1982 को 9 सिख रेजिमेंट। याचिका में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा कमांड की गई रेजिमेंट का प्रदर्शन अच्छा था क्योंकि इसने उस डिवीजन में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विशिष्टता हासिल की थी जिसके तहत यूनिट सेवारत थी। लेकिन सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन ब्लूस्टार के कारण 7/8 जून, 1984 की रात को अचानक कुछ गुमराह सैनिकों द्वारा सेना छोड़ने की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि यह एकमात्र इकाई नहीं थी जहां परित्याग हुआ था, सिख सैनिकों से बनी अन्य इकाइयां और रेजिमेंट भी थीं जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के मद्देनजर परित्याग का सहारा लिया था।

(4) परित्याग/विद्रोह की घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी शुरू होने से पहले, याचिकाकर्ता को सेना निर्देश 106/60 के तहत मुख्यालय 180 इन्फ बीडीई से जोड़ा गया था **,** - पत्र दिनांक 16 अगस्त 1984, (अनुलग्नक पी. 1) के तहत। उपरोक्त उद्धृत सेना निर्देश के तहत याचिकाकर्ता की कुर्की होने पर, उसे निर्देश 2/76 (अनुलग्नक पी-5) द्वारा संशोधित सेना निर्देश एल/आईएस/74 के तहत 18 नवंबर 1984 से लेफ्टिनेंट कर्नल का पद छोड़ने के लिए कहा गया।

इसके बाद, याचिकाकर्ता 8 दिसंबर, 1986 तक जब उसे निकाला नहीं गया, को मुख्यालय 180 इन्फ बीडीई के साथ अटैचमेंट पर बना रहने को को कहा गया - अनुबंध पी. 10 के अनुसार।

(5) अपनी पोस्टिंग के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने 6 फरवरी, 1987 को अपनी पोस्टिंग के स्थान पर रिपोर्ट की। इस बीच, आर्मी इंस्ट्रक्शन एल/ ***आईएस*** /74 में संशोधन किया गया **,** - आर्मी इंस्ट्रक्शन 2/76 के तहत सेना इंस्ट्रक्शन 31/ द्वारा आगे संशोधित किया गया। 86. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसे अभी भी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर बहाल नहीं किया गया है, जबकि सेना के निर्देशों के अनुसार जिसके आधार पर उसे वापस भेजा गया था, यह बताता है कि यदि व्यक्ति को प्रगति के पद पर नीचे लाया जाता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही से बरी कर दिया जाता है, या मुकदमे में नहीं लाया जाता है, तो उसे उसकी अभिनय रैंक वापस दे दी जाएगी और वह अभिनय रैंक उसके द्वारा त्यागने की तारीख से लगातार उसके पास मानी जाएगी।

(6) याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि हालाँकि शुरू में उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए उसे संलग्न किया गया था, लेकिन बाद में , उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार, उसे मुकदमे में नहीं लाया गया, यह अधिकारियों की कार्रवाई से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता को 25 सितंबर, 1986 को सेनाध्यक्ष (अनुलग्नक पी.

8) से गंभीर नाराजगी (रिकॉर्ड करने योग्य) से सम्मानित किया गया था। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, गंभीर नाराजगी (रिकॉर्ड करने योग्य) व्यक्त करने की कार्रवाई पूरी होने के बाद, याचिकाकर्ता को बाहर कर दिया गया था 8 दिसंबर 1986 को.

(7) उत्तरदाताओं द्वारा दायर जवाब में, यह विवादित नहीं था कि याचिकाकर्ता 18 **नवंबर , 1984 तक कार्यवाहक लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर था, और** उसके खिलाफ अनुशासनात्मक मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसे केवल **सेना निर्देश के** अधिकार पर वापस भेजा गया था। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने यह रुख अपनाया कि याचिकाकर्ता को यह रैंक वापस नहीं दी **जा सकती** क्योंकि मामले में सेना निर्देश 31/86 शामिल नहीं था और उसका मामला सेना निर्देश 2 द्वारा संशोधित सेना **निर्देश एल/** ***आईएस*** **/7आई4 द्वारा शासित था।** /76. अन्यथा **,** यह विवादित नहीं था कि यदि याचिकाकर्ता को **सेना** निर्देश 31/86 द्वारा जीपीवीई किया गया था, तो उसे मुकदमा चलाने के लिए नहीं लाए जाने पर उसकी **रैंक वापस दी जानी आवश्यक थी।**

(8) लिखित बयान में उत्तरदाताओं द्वारा **इस आरोप से कोई इनकार नहीं किया गया है कि लगभग सभी सिख रेजिमेंटों और सिख** सैनिकों द्वारा गठित अन्य रेजिमेंटों में पलायन हुआ है।

और किसी अन्य कमांडिंग ऑफिसर के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया गया जैसा याचिकाकर्ता के साथ किया गया है। अन्य कमांडिंग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई , जहां पदत्याग हुआ था, केवल उन्हें ऐसी इकाइयों में तैनात करने की सीमा तक भिन्न थी जहां इसे आवश्यक समझा गया था।

(9) मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और उनकी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

(10) सेना निर्देश 2/70 (अनुलग्नक पी-5) के पैरा 7 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

(a) अनुशासनात्मक उद्देश्यों के लिए किसी अन्य इकाई से संबद्ध होकर अपनी नियुक्ति के कर्तव्यों का पालन करना बंद कर देता है, तो वह तुरंत अपनी नियुक्ति छोड़ देगा और कार्यवाहक रैंक छोड़ देगा,

यदि कोई हो, तो उसकी कुर्की की तारीख से 3 महीने के बाद या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जांच न्यायालय की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी के निर्देश प्राप्त होने के 21 दिन बाद।

(b) यदि अधिकारी को बाद में बरी कर दिया जाता है या किसी भी कारण से मुकदमा नहीं चलाया जाता है, या उसके चरित्र को सेना मुख्यालय में उपयुक्त अधिकारियों की संतुष्टि के लिए सही ठहराया जाता है **, -** ऐसी जांच के माध्यम से जो सेना 1962 के विनियमों के पैरा 346 के तहत की जाती है, उसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है:-

(1) प्राधिकारी के विवेक पर, जो भी वरिष्ठ हो, जिसने निलंबन/गिरफ्तारी/कुर्की का आदेश दिया या आरोप को खारिज करने या दोषमुक्ति की पुष्टि करने का निर्णय लिया, अधिकारी द्वारा रिक्त पद पर, यदि वह रिक्त रह गया हो। तब अधिकारी का कार्यवाहक पद उसके त्यागने की तारीख से लगातार उसके पास माना जाएगा। "

(11) जैसा कि सेना निर्देश/8(31/86 इंच (ऐनी पी-6) से स्पष्ट है, उक्त सेना निर्देश के पूर्वोक्त पैरा 7 को एक नए पैरा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। संशोधित के खंड (बी) पर ध्यान देना आवश्यक है सेना निर्देश जो इस प्रकार है:-

"(बी) यदि अधिकारी को बाद में बरी कर दिया जाता है या किसी भी कारण से मुकदमा नहीं चलाया जाता है या उसके चरित्र को सही ठहराया जाता है

सेना मुख्यालय में उपयुक्त अधिकारियों की संतुष्टि, - सेना के नियमों के पैरा 540 के तहत की गई जांच के

माध्यम से , उसे फिर से नियुक्त किया जाएगा: -

(i) अधिकारी द्वारा रिक्त किये गये पद पर। फे एक्टिंग रैंक ओआई' अधिकारी के बारे में यह माना जाएगा कि जिस तारीख से उसने पद छोड़ा है, उस दिन से लगातार उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है ।

(ii) सेना मुख्यालय द्वारा. समकक्ष रैंक वाले पद पर। जब अधिकारी द्वारा रिक्त किए गए पद पर निर्धारित प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रतिस्थापन प्रदान किया गया हो । अधिकारी के कार्यवाहक रैंक के लिए उपयुक्त एक वार्षिक नियुक्ति को सृजित माना जाएगा और अधिकारी के कार्यवाहक रैंक को उसके पद छोड़ने की तारीख से लगातार उसके पास रखा हुआ माना जाएगा।' '

(12) 'यह प्रतिस्थापित आईक्लॉज £ इस बात पर जोर देता है कि निर्धारित 3 स्थितियों में से किसी एक में, अब यह अनिवार्य है और संबंधित अधिकारियों के विवेक पर निर्भर नहीं है कि अधिकारी को उसके पद छोड़ने की तारीख से कार्यवाहक रैंक पर फिर से नियुक्त किया जाए। चूँकि याचिकाकर्ता, अपने अनुलग्नक के बाद, 8 दिसंबर, 1986 को सेना मुख्यालय द्वारा उसकी पोस्टिंग जारी होने तक, मुख्यालय 180 inf Bde के साथ बना रहा, यह स्पष्ट है कि जिस तारीख को उसे मुकदमे में नहीं लाने का निर्णय लिया गया था। आज यह निर्णय लिया गया कि उसे पद से हटा दिया जाए और इस प्रकार कुर्की आदेश समाप्त कर दिया जाए। आगे बढ़ते हुए, यह भी देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ रिकॉर्ड करने योग्य निंदा करने की कार्रवाई 25 सितंबर, 1986 को की गई थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता को 8 दिसंबर, 1986 से बाहर कर दिया गया था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को लेफ्टिनेंट कर्नल का कार्यवाहक रैंक पुनः प्रदान करना सेना निर्देश 31/86 द्वारा शासित होगा, न कि सेना निर्देश 2/76 द्वारा जैसा कि इस न्यायालय ने ***मेजर जेएस कांग*** बनाम ***भारत संघ में माना है।*** (1). उस मामले में, ऐसी ही परिस्थितियों में मेजर जेएस कांग को उस तारीख से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर फिर से नियुक्त किया गया था, जब उन्होंने अपनी अभिनय रैंक को त्यागना चाहा था। याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से मेजर ***जेएस कांग के मामले*** (सुप्रा) के फैसले से कवर होता है। इस निर्णय की पुष्टि 1987 के एलपीए संख्या 396 में इस न्यायालय के एक डीबी निर्णय द्वारा की गई है, जो 10 मार्च 1989 को तय किया गया था। यदि ऐसा है, तो

(1) 1987 (5) एसएलई 66।

याचिकाकर्ता को सेना निर्देश 31/86 के संशोधित खंड 7(बी) के कारण उसके द्वारा खाली की गई रैंक वापस दी जानी आवश्यक है क्योंकि उसे किसी भी मुकदमे में नहीं लाया गया था।

(13) याचिकाकर्ता ने उसे दिए गए गंभीर नाराजगी के पुरस्कार (रिकॉर्ड करने योग्य) को भी चुनौती दी है **, -** अनुबंध पी-8 के अनुसार। याचिकाकर्ता द्वारा दी गई चुनौती का आधार यह है कि क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें इस प्रकृति की प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने ***मेजर जेएस कांग के मामले*** (सुप्रा) में निर्णय के पैराग्राफ 17 पर भरोसा किया है।

(14) जैसा कि फैसले के पैराग्राफ 17 से स्पष्ट है, इस सजा को देने की शक्ति 18 अप्रैल, 1979 के एक गोपनीय परिपत्र द्वारा विनियमित है। केस कानून के विभिन्न प्रावधानों का विस्तृत संदर्भ देने के बाद, डीवी सहगल, जे., ***मेजर जेएस कांग के लेख में मामले*** (सुप्रा) में माना गया कि इस तरह की सजा का पुरस्कार बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसके पीछे कानून की कोई मंजूरी नहीं है।

(15) ***मेजर जेएस कांग के मामले*** (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर याचिकाकर्ता के दावे का विरोध करने के लिए कोई सार्थक तर्क नहीं दे सके।

(16) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस याचिका को अनुमति दी जाती है और प्रतिवादियों के 18 नवंबर, 1984 से याचिकाकर्ता को लेफ्टिनेंट कर्नल के कार्यवाहक रैंक से घटाकर मेजर के मूल रैंक पर लाने के आदेश को रद्द कर दिया गया है। यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को लेफ्टिनेंट कर्नल के कार्यवाहक रैंक पर उस तारीख से बहाल किया जाए, जिस दिन उसे हटाया गया था, यानी 18 नवंबर, 1984, और यह भी घोषणा की जाती है कि याचिकाकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल के कार्यवाहक रैंक पर इस रैंक पर पदोन्नत होने की तारीख से लगातार सभी परिणामी लाभों के साथ, जिसमें वेतन और वरिष्ठता आदि का बकाया शामिल है, के साथ बना रहेगा। यह निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को लेफ्टिनेंट के कार्यवाहक रैंक के वेतन के बकाया का भुगतान आज से चार महीने के भीतर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित भुगताया जाये। गंभीर दुःख का आदेश (दर्ज किया जाए) अनुलग्नक पी. 8 भी रद्द किया जाता है क्योंकि इसके पीछे कानून की कोई मंजूरी नहीं है। याचिकाकर्ता रिट याचिका की लागत का भी हकदार होगा जिसका मूल्यांकन 1000 रुपये है।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा चांद,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरूग्राम, हरियाणा